संख्या- 16/2023/323435/2023/63-व0उ0-2023-41(एच)/2020

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 29 मई, 2023

विषयः- ई0 एण्ड वाई0 (अर्नस्ट एण्ड यंग एल0एल0पी0) के बिलों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-124/ह0क0-वस्त्र नीति/2023-24 दिनांक 10-05-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशालय के आदेश संख्या-1396/1404 दिनांक 31.03.2023 द्वारा ई0 एण्ड वाई0 एल0एल0पी0 के पक्ष में भुगतान हेतु कोषागार, कानपुर ट्रेजरी में बिल प्रस्तुत किया गया था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तिम माह की अन्तिम तिथि होने के कारण कोषागार, कानपुर/आर0बी0आई0 के सर्वर में टेक्निकल समस्या (सर्वर डाउन) आ जाने के कारण सेवा शुल्क की धनराशि रू0 34,40,442.00 का भुगतान नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में नये वित्तीय वर्ष में पुन: वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू0 175 करोड़ के बजट में से सेवा शुल्क प्रदान किये जाने हेतु ई0 एण्ड वाई0 (अर्नस्ट एण्ड यंग एल0एल0पी0) को छठे एवं सातवें क्वाटर के बिलों के भुगतान हेतु रू0 34,40,442.00 (रू0 चौंतीस लाख, चालीस हजार, चार सौ बयालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि अर्नस्ट एण्ड यंग एल0एल0पी0 को NEFT/RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का भुगतान चेक/नकद नहीं किया जायेगा।

4- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा। वह यह सुनिश्चित करेंगें कि भुगतान अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार किया जा रहा है।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 34,40,442.00 (रू0 चौंतीस लाख, चालीस हजार, चार सौ बयालिस मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6- उक्त धनराशि का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 16/2023/323435/2023(1)/63-व0उ0-2023 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

4- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4

5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।